न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

क्रमा नम्बर 100/2019 राजस्व वाद दायर दिनांक 01.11.2019

- श्री किशन पुत्र गोवर्धन बलाई उम्र वयस्क निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
- श्रीमति मांगी पत्नि गोवर्धन बलाई निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।

–– वादीगण

बनाम

- श्री भैरू पुत्र जस्सा बलाई निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
- श्री बाबू पुत्र हीरा बलाई निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
- छोटू पुत्र हीरा बलाई निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

––प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः–

श्री अमित कोठारी अधिवक्ता–वादीगण

प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक– 27.02.2024

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी सं0 1 से 3 के विरूद्ध प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम बोरडा पटवार हल्का गठीलाखेडा भू0अ0नि0 आटूण भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 506/2 रकबा 06 बिस्वा, आ0नं0 511 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आ0नं0 552/1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 556/2 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 560 रकबा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 561/2 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, आराजी संख्या 562/2 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 08 कुल रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के मध्य सीमा का विवाद होने से वादीगण ने न्यायालय श्रीमान में पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालना में पटवारी हल्का गठीलाखेडा भू0अ0नि0 आटूण द्वारा विवादित आराजियात की दिनांक 31.5.2019 को पत्थरगढी कराई गई जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 01 का वादीगण की आराजी संख्या 511 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 02 बिस्वा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का आराजी संख्या 561/2 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा में से दक्षिण पूर्वी कोने पर 01 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत एवं अवैध कब्जा होना पाया गया इस हेतु यह कब्जेयाबी का वाद प्रस्तुत है।

वाद की धारा 01 में वर्णित आराजियात वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की हो चली आ रही है तथा पत्थरगढी दिनांक 31.5.2019 को वादीगण को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजियात पर अनाधिकृत एवं अवैध कब्जा है। इस हेतु वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 से वादग्रस्त आराजियात का कब्जा दिलाया

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 प्रार्थीगण की स्वामित्व की विवादित आराजियात में अनाधिकृत एवं अवैध तरीके से दखल अन्दाजी एवं हस्तक्षेप करते है तथा दिनांक 31.5.2019 को पत्थरगढी होने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा वादीगण की स्वामित्व व आधिपत्य की आराजियात पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 विवादित आराजी में वादीगण के कब्जेकाश्त में दखल अन्दाजी अथवा हस्तक्षेप नही करे करावे। पत्थरगढी दिनांक 31.5.2019 को होने के उपरान्त वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को वादग्रस्त आराजियात से अपना कब्जा हटाने हेतु दिनांक 05.09.2019 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 वादीगण से लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा कब्जा हटाने हेतु मना कर दिया तथा वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलअन्दाजी करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा वादीगण के स्वामित्व की विवादित आराजियात अनाधिकृत एवं अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 से वादीगण की स्वामित्व की आराजियात पर जबरन कब्जा करने से वादीगण को फसल हानि के रूप में वादीगण को 2000–00 रूपये मासिक के आधार पर हर्जाने की राशि दिलाई जावे।

डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 से लगायत 03 इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम बोरडा प0ह0 गठीलाखेडा की आराजी संख्या 511 में से पश्चिमी मेड के सहारे सहारे रकबा 02 बिस्वा भूमि एवं आराजी संख्या 561/2 में से दक्षिण पूर्वी कोने पर 01 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 को बेदखल करते हुए कब्जा पुनः वादीगण को सिपुर्द किया जावे। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 पारित फरमायी जावे।

वादीगण का वाद पत्र पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादी किशन बलाई के बयान कलमबद्ध किये जाकर दस्तावेजात पर प्रदर्श करवाये गये जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श–3 है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई बहस के दौरान वादपत्र में वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की ग्राम बोरडा पटवार हल्का गठीलाखेडा भू0अ0नि0 आटूण भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 506/2 रकबा 06 बिस्वा, आ0नं0 511 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आ0नं0 552/1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 556/2 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 560 रकबा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 561/2 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, आराजी संख्या 562/2 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 08 कुल रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है। आराजी संख्या 511 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 02 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 भैरू पिता जस्सा बलाई एवं आराजी संख्या 561/2 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा में से दक्षिण पूर्वी कोने पर 01 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बाबू, छोटू पिता हीरा बलाई सा0 बोरडा का अनाधिकृत कब्जा है प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को सिपुर्द किया जाने की प्रार्थना की है।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

:: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 इस प्रकार है ::

183 कतिपय अतिक्रमीयो की बेदखली :–

इस अधिनियम के किसी उपबंध में कोई विपरित बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या रखा है(उस व्यक्ति या उक्त व्यक्तियो के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में " बेदखली" करने के हकदार है) उपधारा 2 उपबंधो के अधिन रहते हुए बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिए शास्ति के तौर पर ऐसी रकम देना का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के 15 गुना तक हो सकती है।

) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है तहसीलदार राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956(राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956) की धारा 91 उपबंधो के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भली भांती परीक्षण किया गया। वादीगण के वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 31.5.2018 के अनुसार ग्राम बोरडा प0ह0 गठीलाखेडा भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 511 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 02 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 भैरू पिता जस्सा बलाई एवं आराजी संख्या 561/2 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा में से दक्षिण पूर्वी कोने पर 01 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बाबू, छोटू पिता हीरा बलाई सा0 बोरडा का अनाधिकृत कब्जा सिद्ध होने से वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी 01 से लगायत 03 के स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवं

:: आदेश ::

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183–188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोरडा प0ह0 गठीलाखेडा भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 511 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 02 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 भैरू पिता जस्सा बलाई एवं आराजी संख्या 561/2 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा में से दक्षिण पूर्वी कोने पर 01 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बाबू, छोटू पिता हीरा बलाई सा0 बोरडा का अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 अतिक्रमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल करे, तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जेकाश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ,आई.ए.एस.

उनवान

1–श्री किशन पुत्र गोवर्धन बलाई उम्र वयस्क निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।

2–श्रीमति मांगी पत्नि गोवर्धन बलाई निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम —— वादीगण

1– श्री भैरू पुत्र जस्सा बलाई निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2– श्री बाबू पुत्र हीरा बलाई निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3– छोटू पुत्र हीरा बलाई निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

——प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 100/2019 राजस्व वाद

वादीगण की ओर से अधिवक्ता अमित कोठारी उपस्थित व प्रतिवादी की ओर से – इस वाद में आज तारीख 27.02.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है –

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183–188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोरडा प0ह0 गठीलाखेडा भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 511 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 02 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 भैरू पिता जस्सा बलाई एवं आराजी संख्या 561/2 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा में से दक्षिण पूर्वी कोने पर 01 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बाबू, छोटू पिता हीरा बलाई सा0 बोरडा का अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 अतिक्रमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल करे, तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जेकाश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाडा